Count Case No. 144/2026

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-4245/JH/13/2025-RU-IV

श्री आलोक कुमार
उपायुक्त, जामताड़ा,
उपायुक्त कार्यालय,
झारखंड सरकार,
जामताड़ा, झारखंड 815351
Email Id: dc-jam@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **06 जुलाई, 2026** को पूर्वाह्न **10:30 HRS** बजे, **न्यू सर्किट हाउस, सर्कुलर रोड, रांची, झारखंड** में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ

(i) जिला जामताड़ा (झारखंड) के अंतर्गत ग्राम पंचायत शहरपुरा के विभिन्न जनजाति गांवों की सामाजिक समस्याओं के निवारण के संबंध में अनुरोध – मुखिया, ग्राम पंचायत शहरपुरा, जिला जामताड़ा (झारखंड) एवं 14 अन्यों का दिनांक 23.07.2024 एवं विभिन्न तिथियों के पत्र।

(ii) एनसीएसटी का नोटिस दिनांक 03.02.2025

(iii) एनसीएसटी सीटिंग नोटिस दिनांक 07.05.2026

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

18.6.26

for न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003